कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

नवगठित बीपीसी (ले-आउट प्लान) की प्रथम बैठक दिनांक 26 एवं 27-2-2002 को जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न सदस्यों/अधिकारियों ने भाग लिया-

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक - सदस्य
2. श्री अशोक तंवर, विधायक - सदस्य
3. श्री राजेन्द्र मावर, सदस्य जविप्रा - सदस्य
4. वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी)/(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा
5. उप नगर नियोजक (बीपीसी)/(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा
6. उपायुक्त, जोन ए-2, ए-3, ए-4, बी-1, बी-3, बी-5, बी-6, बी-7, बी-8, सी-1, सी-3 एवं डी-3, जविप्रा

उपरोक्त बैठक में लिए गये निर्णयों/कार्यवाही विवरण प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग प्रोफार्मा में तैयार किया गया है। वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) से संबंधित जोन्स के जो प्रकरण प्रस्तुत हुए थे उनका कार्यवाही विवरण उनके द्वारा तैयार कर भिजवाया गया है जो संकलित कर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है (कुल प्रकरण: 40)

28/2/2002

सदस्य सचिव, बीपीसी (ले-आउट प्लान)

निदेशक (आयोजना) (on leave)

आयुक्त महोदय

STP (BPC)

Pl. issue the minutes

28/2/2002

DA

जारी बी.पी.सी (ले-आउट प्लान) बैठक प्रथम दिनांक 26व27-2-2002 रजिस्टर क्रमांक संख्या डी-59 दि. 01-3-2002 अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आदेशानार्थ प्रेषित है।

STP (Coord)

01/3/2002

549.75,000-2001

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..प्रथम..बैठक दिनांक27-2-2002..का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : श्री छत्रपति शिवाजी गृ॰नि॰स॰स॰
2. योजना का नाम : श्री नारायण नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : नांगल जैसा बोहरा, ख॰नं॰ 857, 849
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या..डी-8....) कमेटी की बैठक दिनांक.22/2/02...में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. यह योजना जयपुर सीकर रेल्वे लाइन के पास स्थित है। रेल्वे लाइन से 150 फिट दूरी के अन्तर्गत भूखंड सं0 8 का कुछ भाग छोड़कर शेष को सुविधा क्षेत्र में रखने का निर्णय लिया गया।
2. इस योजना के उत्तर में 40 फिट रोड सैक्टर रोड लगी हुई है जिससे योजना का कुछ भाग प्रभावित है। इस रोड़ को 40 फिट यथावत रखने का निर्णय लिया गया तथा इस रोड़ में आने वाले समस्त भूखंडो का क्षेत्र काट कर शेष क्षेत्र को नियमित करने का निर्णय लिया गया।
3. योजना के पश्चिमी छोर पर 40 फिट चौड़ी सैक्टर रोड है जिसे प्रस्तुत योजना मानचित्र में नहीं दर्शाया गया है। सैक्टर रोड को सैक्टर के अनुसार 40 फिट ही रखा जावे एवं भूखंड संख्या 47बी, 47सी, 47डी व 46डी को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे।
4. योजना की समस्त आन्तरिक सड़कों को 30 फिट करने का निर्णय लिया गया साथ ही योजना के मध्य में प्रस्तावित 30 फिट चौड़ी

.....2

सड़क को 40 फिट रखा जावे ।

5. योजना के अन्तर्गत प्लाट नं0 23 से 26 एवं 27, 65 के मध्य 30 फिट रोड को 40 फिट सैक्टर रोड़ में मिलाने का निर्णय लिया गया जिसमें प्लाट नं0 6 व 3 का 30 फिट चौड़ा हिस्सा सड़क में आने के कारण इन भूखंडों का क्षेत्र कम किया जाकर शेष को नियमन करने का निर्णय लिया गया है ।

6. समिति द्वारा प्रस्तावित भूखंड सं0 23 एवं 27 के मध्य प्रस्तावित दुकानें रोड में आने के कारण निरस्त करने का निर्णय किया गया है ।

7. इस योजना में पूर्व-पश्चिम आन्तरिक 30 फिट रोड को जयपुर बैनाड़ रोड़ से लिंक करने के लिये भूखंड सं0 13 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.प्रथम...बैठक दिनांक..27/2/2002..का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : जल महल हा० को० सो०
2. योजना का नाम : हरि नगर विस्तार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : मोटवाड़ा तह आमेर, खसरा नं० 709
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...पी.-8...) कमेटी की बैठक दिनांक..22/2/02..में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. योजना की आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई 30 फीट रखी जाकर योजना को अनुमोदित किया जावें।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की प्रथम...बैठक दिनांक 27-2-2002 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : विकास भवन
2. योजना का नाम : श्यामपुरी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : झागनेर, 497
4. सैक्टर नंबर : 28

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-1) कमेटी की बैठक दिनांक............में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. 80 फिट सड़क में आ रहे भूखण्ड सं0 1,2,3,4 तथा 16,17 को छोड़कर शेष भूखण्डों का नियमन किया जावे।
2. आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई 30 फिट रखी जावे।
3. 80 फिट चौड़ी सड़क का मौके पर डिमार्केशन जोन स्तर से अभियांत्रिकी कार्य दल से करवाया जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की प्रथम...बैठक दिनांक..27-2-2002का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : बस्सी सीतारामपुरा बी
2. योजना का नाम : सूरज नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : सांगानेर, 286,287
4. सैक्टर नंबर : 28

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-1....) कमेटी की बैठक दिनांक............में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. भूखण्ड सं0 5ए, 12ए, 17ए, 24ए, 28ए, 35ए, 40ए के स्थान पर मौके पर विद्यमान सड़क को यथावत रखा जावे तथा सहकारी समिति द्वारा सड़क के स्थान पर ही भूखण्ड काटने की अनियमितता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट जोन स्तर से दर्ज करवायी जावे ।
2. आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई 30 फिट रखी जावे ।
3. भूखण्ड सं0 21 एवं 1 के सामने स्थित सड़क से समीपस्थ कॉलोनी की मौके पर विद्यमान सड़क का लिंक दिया जावे एवं प्रभावित होने वाले क्षेत्र को कम किया जावे ।
4. 60फिट चौड़ी सड़क को यथावत रखते हुए प्रभावित होने वाले भूखण्डों का क्षेत्रफल कम किया जावे ।
5. भूखण्ड सं0 51, 52 के मध्य स्थित 12फिट चौडी लेन को 20 फिट किया जावे ।

<u>कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।</u>

<u>बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.प्रथम..बैठक दिनांक.27-2-2002.का कार्यवाही विवरण।</u>

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	: पथिक भवन
2.	योजना का नाम	: 13 ई प्रेमनगर
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	: सांगानेर, 566, 575, 580 से 583
4.	सैक्टर नंबर	: 28,

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-1...) कमेटी की बैठक दिनांक............में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. मास्टर विकास योजना 2011 की 200 फिट चौड़ी सड़क से प्रभावित भूखण्ड सं0 18 व 19 का आगे का 50'-6" हिस्सा छोड़कर शेष का नियमन किया जावे ।
2. आन्तरिक सड़को की चौड़ाई 30 फिट रखी जावे ।
3. भूखण्ड सं0 17 रोड़ लिंक हेतु छोड़ा जावे ।
4. योजना का क्षेत्र का भू उपयोग नर्सरी ओवार्ड से आवासीय उपान्तरण नियमानुसार किया जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..प्रथम..बैठक दिनांक.27-2-2002.का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : शिव शंकर हा0 को0 सोसायटी
2. योजना का नाम : माँ रुकमणी नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : विजयपुरा तह0 जयपुर, ख0 नं0 472
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या..सी-3....) कमेटी की बैठक दिनांक..25-2-02में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को ~~स्वीकृत~~/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

विशेष विवरण :-

1. समिति द्वारा प्रस्तावित योजना मानचित्र में आवासीय क्षेत्रफल 65.40% रखा गया है जबकि निर्मित भूखण्डों का क्षेत्रफल दस प्रतिशत से कम है अत: समिति से 60:40 के आधार पर संशोधित ले-आउट मांगा जावे । साथ ही योजना में जो 1 बीघा क्षेत्र अन्य का सम्मलित किया गया है उसे योजना क्षेत्र से भी समिति से हटवाया जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..प्रथम..बैठक दिनांक.27-2-02....का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : महावीर स्वामी गृह नि॰स॰स॰
2. योजना का नाम : देवनगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : विजयपुरा तह0 जयपुर, ख0नं0 472 का - आंशिक भाग। बीघा
4. सैक्टर नंबर :-

जोनल लेबल(जोन संख्या..सी-3....) कमेटी की बैठक दिनांक..25-2-02में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को ~~स्वीकृत~~/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को ~~स्वीकृत/अस्वीकृत~~ स्थगित निम्न शर्तो पर किया गया:-

विशेष विवरण:-

1. प्रस्तावित योजना का भाग शिवशंकर हाउसिंग सोसायटी मां रूकमणी नगर योजना में सम्मलित है अतः महावीर स्वामी गृह नि0स0स0 के अध्यक्ष/सचिव को बुलाकर सुना जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की. प्रथम..बैठक दिनांक.27-2-2002.का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : शंकर भवन
2. योजना का नाम : केशव नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : जामडोली, 176 एवं 177
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेवल(जोन संख्या..सी-3....) कमेटी की बैठक दिनांक.25-2-02में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को ~~स्वीकृत~~/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. योजना में प्रस्तावित सड़के आपस में मेल नहीं खाने के कारण तथा आवासीय क्षेत्रफल 72.87% प्रस्तावित होने के कारण समिति से संशोधित ले आउट प्लान आवासीय एवं सड़कों आदि का अनुपात 60:40 रखते हुए लिया जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.प्रथम...बैठक दिनांक.27-2-2002.का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : श्यामपुरी
2. योजना का नाम : मनु बिहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : आमडोली 212
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-3..) कमेटी की बैठक दिनांक..25-2-02में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को ~~स्वीकृत~~/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. प्रस्तावित योजना 12 बीघा में प्रस्तुत की गयी है। जबकि धारा 90 बी की कार्यवाही 9 बीघा भूमि की ही हुई है अतः 9 बीघा क्षेत्रफल के लिए ही संशोधित ले आउट प्लान मांगा जावे।
2. समिति की योजना की 9 बीघा भूमि को स्पष्ट चिन्हित करवाये जाने के लिए समिति को सूचित किया जावे।
3. समिति से योजना में आवासीय क्षेत्रफल 60% रखवाते हुए संशोधित ले आउट मानचित्र लिया जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..प्रथम..बैठक दिनांक.27-2-2002का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : श्यामपुरी
2. योजना का नाम : मनु बिहार विस्तार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : जामडोली, 229
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-3....) कमेटी की बैठक दिनांक.25-2-02में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. मास्टर प्लान में योजना की भूमि का भू उपयोग इकोलोजिकल है जिसका उपान्तरण (नियमानुसार) आवासीय किया जावे।
2. योजना में निर्मित भूखण्डों का प्रतिशत 3.54 है अत: योजना अनुमोदित किये जाने के निर्णयार्थ बाबत प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की प्रथम...बैठक दिनांक..27-2-2002का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : पहाड़गंज
2. योजना का नाम : शताब्दी नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : आमडोली , 135
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.सी-3.....) कमेटी की बैठक दिनांक.25-2-02में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. मास्टर प्लान में योजना की भूमि का भू उपयोग इकोलोजिकल है जिसका उपान्तरण नियमानुसार आवासीय किया जावे ।
2. मुख्य सड़क को 60फिट चौड़ा ही रखा जावे । शेष आन्तरिक सड़कों को 30 फिट रखा जावे ।
3. आवासीय एवं सड़को आदि का अनुपात 60:40 ही रखा जावे ।
4. योजना में दर्शायी गयी दुकानों को अस्वीकृत किया गया ।
5. चूंकि योजना में सृजित भूखण्ड मौके पर रिक्त है अत: योजना अनुमो बाबत प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे ।

[signature]

/2

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..प्रथम..बैठक दिनांक.27-2-2002का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : महावीर स्वामी
2. योजना का नाम : शान्ति विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : अमेल, 228
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या..सी-3....) कमेटी की बैठक दिनांक25-2-02में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. मास्टर प्लान में योजना की भूमि का उपयोग इकोलोजिकल है जिसका उपान्तरण नियमानुसार आवासीय में परिवर्तित किया जावे ।
2. प्रस्तावित भूखण्डों की लम्बाई में से 2'-6" भूमि सड़क विस्तार के लिए रखी जावे जिससे सड़क की चौड़ाई 30' हो सके ।
3. प्रस्तावित मंदिर क्षेत्र को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे ।
4. मौके पर योजना पूर्णतया: रिक्त है अत: योजना के अनुमोदन के संबंध में प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..प्रथम...बैठक दिनांक.27-2-2002.का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : हथरोई गढ़ी
2. योजना का नाम : राधिका बिहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : आमेडोली, 67
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.सी-3.....) कमेटी की बैठक दिनांक.25-2-02में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को ~~स्वीकृत~~/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. समिति से योजना का ले आउट प्लान आवासीय एवं सड़कों आदि का अनुपात 60:40 रखवाते हुए संशोधित मानचित्र लिया जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..प्रथम..बैठक दिनांक.27-2-2002 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : शिव शंकर
2. योजना का नाम : श्रीनगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : विजयपुरा, 541, 542, 538, 575, 576, 536/586, 453
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...पी-3...) कमेटी की बैठक दिनांक.25-2-02में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. मास्टर प्लान में योजना की भूमि का उपयोग इकोलोजिकल है जिसका उपान्तरण नियमानुसार आवासीय में परिवर्तित किया जावे ।
2. भूखण्ड सं0 20 और 33 एवं 87 व 88 के मध्य में स्थित प्रस्तावित 30 फिट सड़क को 40 फिट चौड़ी किया जावे ।
3. प्रस्तावित दुकानों में से 10 फिट चौड़ी भू पट्टी कम की जाकर सड़क की चौड़ाई 60 फिट रखते हुए सड़क के मध्य से 30 फिट निर्धारित की जावे ।
4. योजना में आवासीय व सड़क आदि का अनुपात 40:60 के आधार पर ही रखा जावे ।
5. योजना मौके पर रिक्त है अत: अनुमोदन किये जाने के संबंध में राज्य सरकार को भिजवाई जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.प्रथम...बैठक दिनांक 26.2.02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : हसनपुरा गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : नारायण विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : 3243,3245/5152
4. सैक्टर नंबर : 28

जोनल लेवल(जोन संख्या...सी-1...) कमेटी की बैठक दिनांक......—......में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई 30 फिट रखी जावें ।
2. एल.टी.लाईन से प्रभावित सभी भूखण्डों का नियमन इस शर्त के साथ कर दिया जावे कि उनके द्वारा भूखण्डों में निर्माण से पूर्व एल.टी.लाईन स्वयं के खर्चे से हटवाई जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..प्रथम..बैठक दिनांक..26•2•02....का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	:	अपोलो नगर
2.	योजना का नाम	:	महावीर नगर "बी"
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	:	671, 672, 674, 675, 676 (कुल रकबा 1•32 हेक्टेयर)
4.	सैक्टर नंबर	:	28

जोनल लेबल(जोन संख्या..सी-1....) कमेटी की बैठक दिनांक..........में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

1• योजना में 1622•80 व•ग• अधिक भूमि के क्षेत्रफल को निजी भूमि माना जावे तदानुसार नियमानुसार नियमन शुल्क निर्धारित किया जावे।

2• सैक्टर प्लान के अनुसार 60 फिट चौड़ी रोड़ व 100 फिट चौड़ी रोड़ यथावत को ही रखा जावें।

3• आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई 30 फिट रखी जावे तथा भूखण्ड सं• 21 व 25, 7 व 6 के साथ की सड़क को मौके की स्थिति के अनुसार ही रखा जावें।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की प्रथम बैठक दिनांक 26•2•02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : पथिक भवन
2. योजना का नाम : 13 सी ए
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : सांगानेर, ख•न•83,95
4. सैक्टर नंबर : 28

जोनल लेबल(जोन संख्या जोन सी-1) कमेटी की बैठक दिनांक —— में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

1• मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग व्यावसायिक होने के कारण प्रस्तावित दुकानो को अनुज्ञेय किया गया ।

2• सैक्टर प्लान की 100 फिट चौड़ी सड़क की केन्द्र बिन्दु से 50 फिट दूरी रखी जावे ।

3• योजना के दक्षिण में सैक्टर प्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई 60 फिट रखी जावे तदानुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल कम किया जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.प्रथम...बैठक दिनांक..26.02.02..का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	:	अपोलो नगर
2.	योजना का नाम	:	महावीर नगर "सी"
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	:	सांगानेर, 502
4.	सैक्टर नंबर	:	28

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-1...) कमेटी की बैठक दिनांक.....—.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित सचिव नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा के सन्दर्भ में निम्न निर्णय लिये गये :-

1. योजना में अधिक क्षेत्रफल 215.60 व.ग. अधिक भूमि को सरकारी भूमि माना जाकर नियमन शुल्क निर्धारित किया जावें ।
2. आन्तरिक सड़के मौके की स्थिति के अनुसार ही रखी जावे ।
3. मौके की स्थिति के अनुसार आवासीय क्षेत्रफल 71.70 % अनुमोदित किया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..प्रथम..बैठक दिनांक..26.2.02....का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	:	टैगोर नगर
2.	योजना का नाम	:	हीरावत नगर
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	:	सोगानेर,217,514,724,725
4.	सैक्टर नंबर	:	28

जोनल लेबल(जोन संख्या...डी-1...) कमेटी की बैठक दिनांक.....—.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को ~~स्वीकृत/अस्वीकृत~~ स्थगित निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. स्वामित्व की जांच की जाकर पुन: बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.प्रथम..बैठक दिनांक.26.2.02.....का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : पहाड़गंज
2. योजना का नाम : हनुमान वाटिका
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : कानोता, 640
4. सैक्टर नंबर : -

जोनल लेबल(जोन संख्या..डी-3....) कमेटी की बैठक दिनांक......-......में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ही सड़क की चौड़ाई प्रस्तावित दुकानों की गहराई कम करते हुए सड़क के केन्द्र बिन्दु से दूरी 50 फिट रखी जावें।
2. आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई 30 फिट रखी जावें।
3. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू-उपयोग सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय से आवासीय परिवर्तन नियमानुसार किया जावें।
4. व्यावसायिक क्षेत्र अधिकतम 10 % तक ही अनुज्ञेय किया जावें।
5. भूखण्ड संख्या:11 व 12 को निर्मित क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण अस्वीकृत किया जावें।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..प्रथम..बैठक दिनांक..26.2.02..का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
   समिति का नाम : मोती भवन
2. योजना का नाम : योजना 4-पी (जमनापुरी)
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : महापुरा उर्फ कूकरखेड़ा, ख.न.43/2
4. सैक्टर नंबर : –

जोनल लेबल(जोन संख्या...पी-3...) कमेटी की बैठक दिनांक...--...में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर निम्न निर्णय लिये गये :-

1. योजना में सेक्टर रोड़ को 60 फिट ही रखा जावे।
2. योजना की आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई 30 फिट रखी जावें।
3. योजना में स्थित भूखण्ड संख्या 4,4ए,4डी व 11 को सुविधा क्षेत्र में रखा जावें
4. योजना की नियमन दर जोनल समिति द्वारा प्रस्तावित 345/-रुपये प्रति व.ग. की पुष्टि की गयी एवं जविप्रा आदेश क्रमांक:जविप्रा/अआ/भूमि/2002/डी-451 दिनांक 25.2.2002 के क्रम में नियमन दर की पुष्टि हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कर दी जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.प्रथम...बैठक दिनांक27-2-2002.का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : म्युचुअल हा॰ को॰ आॅपरेटिव सोसायटी
2. योजना का नाम : सूरज नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : झोटवाड़ा तह॰ आमेर, ख॰ नं॰ 343
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...बी-7....) कमेटी की बैठक दिनांक.........में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. कालवाड़ रोड़ की चौड़ाई 160 फिट होने के कारण सड़क के केन्द्र बिन्दु से 80 फिट की दूरी रखी जावे। एवं भूखंड संख्या 1 से 7 व 54 से 61 का क्षेत्रफल कम किया जावे।
2. एच॰टी॰ लाइन से प्रभावित होने वाले भूखंडों का नियमन एच॰टी॰ लाइन के हटाये जाने के उपरान्त ही किया जावे।
3. भूखंड संख्या 76 जिसमें कुंआ व मंदिर है उसे सुविधा क्षेत्र रखा जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..प्रथम..बैठक दिनांक.27-2-2002.का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	: गोपाल पुरा गृ॰नि॰स॰स॰
2.	योजना का नाम	: दादा गुरू नगर
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	: सांगानेर, ख॰नं॰ 211, 212, 225 व 235
4.	सैक्टर नंबर	:

जोनल लेबल(जोन संख्या..डी-1...) कमेटी की बैठक दिनांक........... में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. 80 फिट सैक्टर रोड को यथावत रखते हुए प्रभावित होने वाले भूखंडों के क्षेत्रफल कम अथवा निरस्त किया जावे ।
2. आन्तरिक सड़कें 30 फिट ही रखी जावे ।
3. 60 फिट सैक्टर रोड़ को यथावत रखा जावे एवं प्रभावित होने वाले भूखंडों का क्षेत्रफल तदानुसार कम किया जावे ।
4. 60 फिट चौड़ी सड़क पर प्रस्तावित दुकानों से 10 फिट चौड़ी भू-पट्टी कम की जावे जिसे पार्किंग के लिए आरक्षित रखा जावे ।
5. योजना के मध्य में खातेदार की भूमि में से खातेदार के लिए 750 व॰ग॰ के भूखंड का सृजन कर नियमन किया जावे । शेष रिक्त भूमि को सुविधा क्षेत्र रखा जावे ।
6. एल॰टी॰ लाइन से प्रभावित भूखंड संख्या 71 से 73 का नियमन इस शर्त के साथ कर दिया जावे कि उनके द्वारा भूखंडों के निर्माण से पूर्व एल॰टी॰ लाइन स्वयं के खर्चे पर हटवाई जावेगी ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की. प्रथम.. बैठक दिनांक 26-27-2-2002 का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	:	मित्र गृ०नि०स०स०
2.	योजना का नाम	:	नन्द विहार
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	:	ख०न० 8 व 9 ग्राम रामजीपुरा
4.	सैक्टर नंबर	:	10

जोनल लेबल(जोन संख्या...बी-1...) कमेटी की बैठक दिनांक 26:2:02 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमादन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1- भूखण्ड संख्या 1 से 7 व 22 से 23 चन्द्रकला नगर ओवर लेपिंग में है तथा भू०सं० 8 से 16 के भूखण्ड राजस्व रिकार्ड के अनुसार कब्रिस्तान की भूमि में है इसलिए इस योजना को निरस्त करें। चन्द्रकला नगर योजना की भूमि ओवर लेपिंग के सम्बन्ध में भूमि का स्वामित्व की जाने हेतु प्रकरण उप-रजिस्ट्रार सहकारिता को भिजवावें।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..प्रथम बैठक दिनांक 26:27:2:02 का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	:	हथरोई गढी गृ०नि०स०स०
2.	योजना का नाम	:	सुन्दर नगर
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	:	ख०न० 106 ग्राम दुर्गापुरा
4.	सैक्टर नंबर	:	10

जोनल लेवल(जोन संख्या...बी-1...) कमेटी की बैठक दिनांक 26:2:02 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1- सेक्टर प्लान में योजना के पश्चिम में टौंक रोड़ की चौडाई 160-0" निर्धारित है जबकि मौके पर 53-0" इसलिए टौंक रोड से केन्द्र से योजना के बीच की दूरी 80-0" में आने वाले भूखण्डों दुकान नं० 15 से 27 तक को अस्वीकृत करें ।

2- योजना के उत्तर की सड़के की चौड़ाई सेक्टर प्लान में 60-0" चौडी निर्धारित है जबकि मौके पर सड़क की चौड़ाई 32" से 44-6" है इसलिए इस सड़क की चौडाई 60-0" में आने वाली दुकान नं० 28 से 43 तक को अस्वीकृत की जावें ।

3- आन्तरिक सड़को की चौड़ाई 30-0" की जावें ।

4- भूखण्ड संख्या 23 बी 24 व 25 व भू०स० 42 व 43 के मध्य मन्दिर को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावें ।

5- चूंकि भूमि आवासीय है तथा कब्जा लिया हुआ है एवं भूमि 2 बीघा से अधिक है इसलिए इस योजना को अनुमोदित करने का अधिकार राज्य सरकार को है । अत: राज्य सरकार को योजना अनुमोदन हेतु भिजवावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..प्रथम..बैठक दिनांक26/27-2-02 का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	: संयुक्त गृ० नि० स०स०
2.	योजना का नाम	: श्री जी नगर दुर्गापुरा
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	: ख०न० 179 दुर्गापुरा, ख०न० 8 चैनपुरा
4.	सैक्टर नंबर	: 11

जोनल लेवल(जोन संख्या..डी-1 ...) कमेटी की बैठक दिनांक 26-2-02 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1- भूखण्ड संख्या 10 व 11 के मध्य की सड़क सेक्टर प्लान में 80-0" "चौडी निर्धारित है जबकि मौके पर इस सड़क की चौड़ाई 25" से 30" है । इसलिए इस सड़क की चौड़ाई 80-0" करें तथा सड़क की चौड़ाई में आने वाले क्षेत्र से कम करने के पश्चात् जिन भूखण्डों में प्रर्याप्त आच्छादित क्षेत्रफल नहीं मिलता है । उनको अस्वीकृत किया जावें तथा जिनमें प्रर्याप्त आच्छादित क्षेत्रफल मिलता है उसे स्वीकृत किया जावें ।

2- आन्तरिक सड़को की चौड़ाई 30-0" की जावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.........बैठक दिनांक 26-27-2-2002 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	:	तोषखाना देश गृ० नि० स० स०
2. योजना का नाम	:	10 बी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0	:	ख०न० 172 ग्राम दुर्गापुरा, ख०न०21 ग्राम-बैनपुरा
4. सैक्टर नंबर	:	11

जोनल लेवल(जोन संख्या...बी-1...) कमेटी की बैठक दिनांक 26:2:02 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:

1- भूखण्ड संख्या 21 बी के उत्तर की ओर मौके पर सड़क 23-6" उपलब्ध है । जिसमें 30-0" चौड़ी की जावें ।

2- भूखण्ड संख्या 8 से 21 के पूर्व की ओर मौके पर सड़क की चौड़ाई 20-0" व 17" उपलब्ध है । जिसमें 30-0" किया जावें ।

3- भूखण्ड संख्या 1 बी के उत्तर की ओर दुकान को अस्वीकृत किया जावें ।

4- भूखण्ड संख्या 25 से 27 ए तक के भूखण्ड भूदेव कोलोनी के भूखण्ड ओवर लोपिंग होने के कारण इनको अस्वीकृत किया जावें । तथा इस भूमि की स्वामित्व की जाँच उप-रजिस्ट्रार (सहकारिता) से करवायी जावें ।

5- योजना में आवासीय क्षेत्रफल 75.53% है । जबकि योजना पूर्व रूपये बिल्ट अप है इसलिए योजना को राज्य सरकार के आदेश के क्रम में शिथिलता देते हुए योजना को अनुमोदन किया जावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.प्र.प्र.).बैठक दिनांक २६-२७.२.२००२का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : विकास भवन गृ० नि० स० स०
2. योजना का नाम : किरण बिहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : 388,417,312,235,311 ग्राम देबरी 314/365,325 ग्राम गोपालपुरा
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.............) कमेटी की बैठक दिनांक.............में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय म योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1- मौके की स्थिति के अनुसार योजना में आवासीय क्षेत्रफल 70.6% है जबकि अनुज्ञेय 60% है । इसलिए आवासीय क्षेत्रफल कम करने हेतु भू.स. एफ-7ए, एफ-4ए, एफ-4, एफ-3ए, एफ-3ए, एफ=3, एफ-2ए;, बी-9, बी-10, बी-11, ए-13, ए-14, ए-15, तथा भू.स. बी-बी1, बी-बी2, ए-13 में सेट बेक छोड़ने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होने के कारण इन सभी भूखण्डों को अस्वीकृत कर सुविधा क्षेत्र में दर्शायें ।

2- उपायुक्त जोन ने बैठक में सदस्यों को बताया कि योजना बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में नहीं है । इसलिए योजना को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नहीं माना जावें ।

3- सहकारी समिति ने योजना प्राधिकरण की भूमि में बनायें है । इसलिए समिति के खिलाफ एफ.आई.आर. उपायुक्त जोन द्वारा दर्ज करवायी जावें ।

4- सभी सड़को की चौड़ाई कम से कम 30-0" की जावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2.2000 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : नेशनल हाउसिंग को॰ओ॰ सोसायटी लि0
2. योजना का नाम : सुन्दर नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : रामजीपुरा 142 (गत ख॰न॰ 181)
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...........) कमेटी की बैठक दिनांक...........में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1- भूखण्ड संख्या 41-42 और 39 के मध्य की सड़क सेक्टर प्लान के अनुसार 40-0" चौड़ी है । किन्तु मौके पर इस सड़क की चौड़ाई 30-0" तथा इस योजना के आगे की 30-0" चौडी है । इसलिए इसे 40-0" से 30-0" चौडी योजना मानचित्र में दर्शायी जावें ।

2- नाले के दक्षिण की ओर वाली भूखण्ड व भूं॰ स॰ 82 तथा नाले के मध्य 30-0" चौड़ी सड़क दर्शायें ।

3- भूखण्ड संख्या 81 व प्राधिकरण भूमि के मध्य सड़क की चौड़ाई मौके पर 10-6" तथा 28-0" ही उपलब्ध है । इसे योजना में 30-0" चौड़ी सड़क दर्शायी जावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी ॥ले आउट प्लान॥ की दिनांक 26.2.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन D-1 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये :-

1. श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति की पदम विहार ग्राम शिवदासपुरा के अनुमोदन के संबंध में ।
2. लूनिया वास गृह निर्माण सहकारी समिति की लक्ष्मी कालोनी, सांगानेर के अनुमोदन के संबंध में ।
3. पहाडगंज गृह निर्माण सहकारी समिति की विजय नगर सी ग्राम किलकीपुरा-शिवदासपुरा टोंक रोड के अनुमोदन के संबंध में ।
4. श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति की पदम प्रभू विहार ए, पदमपुरा रोड, शिवदासपुरा के अनुमोदन के संबंध में ।
5. श्री वक्शावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की आर.के.पुरम स्थित ग्राम श्री राम की नांगल तहसील सांगानेर के अनुमोदन के संबंध में ।
6. श्री बाबा आर.एन. गौड गृह निर्माण सहकारी समिति की बृज विहार योजना के अनुमोदन के संबंध में ।
7. श्री बाबा आर.एन. गौड गृह निर्माण सहकारी समिति की प्रियंका विहार योजना ग्राम बीलवा खसरा नम्बर 649 के अनुमोदन के संबंध में ।
8. अम्बेश्वर गृह.नि.स.स. की पवन वाटिका योजना, श्री राम की नांगल खसरा नम्बर 129, 130, 131, 398, 399
9. अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की कामधेनु योजना, बिलवा के अनुमोदन के संबंध में ।
10. श्री महावीर स्वीमी गृह निर्माण सहकारी समिति की गणेश विहार योजना के अनुमोदन के संबंध में ।

विचार विमर्श पश्चात उपरोक्त एजेन्डा पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1. श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति की पदम विहार ग्राम शिवदासपुरा खसरा नम्बर 1749, 1809 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल ॥जोन संख्या डी-1॥ कमेटी की बैठक दिनांक 20.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :-

(i) भूखण्ड संख्या 1, 8, 9, ॥का अधिकांश भाग॥ एवं दुकान संख्या 1 से 72 मास्टर विकास योजना 2011 के भू उपयोग मानचित्र ॥शिवदासपुरा॥ के अनुसार 200 ft. सडक से

प्रभावित होने के कारण अस्वीकृत किये जावें।

(ii) शेष बचे भूखण्ड संख्या 2, 3, 4, 5, 6 का नियमन योग्य भाग का नियमन किया जावें।

(iii) 200 ft. सड़क से प्रभावित भूखण्ड संख्या 1, 8, 9, के शेष बचे भाग को सुविधा क्षेत्र दर्शाया जावें।

(iv) जविप्रा आदेश क्रामंक जविप्रा/अआ/भूमि/2002/D-451 dt. 25.2.2002 के अनुसरण में योजना अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवायी जावें।

2. लूनिया वास गृह निर्माण सहकारी समिति की लक्ष्मी कालोनी, बढ़ी का बास खसरा नम्बर 78, 79 सांगानेर के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-1) कमेटी की बैठक दिनांक 20.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :-

(i) हाइवे कंट्रोल बैल्ट रेग्यूलेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की मध्य रेखा से 75 mt. क्षेत्र से प्रभावित भूखण्ड संख्या 1 से 8, 29 से 31 एवं दुकान नम्बर 1 से 22 का निरस्त करते हुए भूखण्ड संख्या 9 से 28 का नियमन किया जावें।

(ii) प्रस्तावित 25 ft. सड़क को 30 ft. किया जावें।

(iii) योजना का भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किया जावें।

(iv) जविप्रा आदेश क्रामंक जविप्रा/अआ/भूमि/2002/D-451 dt. 25.2.2002 के अनुसरण में योजना अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवायी जावें।

3. पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति की विजय नगर सी ग्राम किलकीपुरा- टोंक रोड खसरा नम्बर 55 से 66, 68, 98 से 101 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-1) कमेटी की बैठक दिनांक 20.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :-

(i) इस योजना में मुख्यतया 50 वर्ग गज, 100 वर्ग गज, 150 वर्ग गज, 200 वर्ग गज के भूखण्ड प्रभावित किये गये हैं।

(ii) इस योजना को 60:40 के अनुपात मे स्वीकृत किया जावें।

(iii) योजना में प्रस्तावित 25 ft. सड़कों को 30 ft. किया जावें।

(iv) 33 K.V. H.T. Line से प्रभावित भूखण्डों को निरस्त किया जावें।

(v) टोंक रोड से मिलने वाली सड़क को 60 ft. करने पर प्रभावित भूखण्डों में से नियमन योग्य भूखण्डों का नियमन किया जावें एवं शेष भूखण्डों को निरस्त किया जावें। योजना के बाहर स्थित भूखण्डों को निरस्त किया जावें।

(vi) 60ft. रोड पर स्थित दुकानों का 10 ft. पार्किंग छोडने के पश्चात नियमन योग्य दुकानों का नियमन किया जावें ।

(vii) योजना का भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किया जावें ।

(viii) जविप्रा आदेश क्रांमक जविप्रा/अआ/भूमि/2002/D-451 dt. 25.2.2002 के अनुसरण में योजना अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवायी जावें ।

4. श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति की पदम प्रभु विहार ए, पदमपुरा रोड, शिवदासपुरा खसरा नम्बर 1810, 1811, 1833 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल ﴾जोन संख्या डी-1﴿ कमेटी की बैठक दिनांक 20.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :-

(i) योजना के भूखण्ड संख्या 1 एवं दुकान संख्या 1 से 27 पूर्ण रुप से एवं 1 A, 11, 11 A, एवं 12, 12 A का आंशिक भाग मास्टर विकास योजना 2011 के भू उपयोग मानचित्र ﴾शिवदासपुरा﴿ की 200 ft. प्रस्तावित सडक से प्रभावित होने के कारण अस्वीकृत किया जावें ।

(ii) 33 K.V. H.T. Line से प्रभावित भूखण्ड संख्या 2, 3, 4 को निरस्त किया जावें ।

(iii) योजना सीमा से बाहर स्थित होने के कारण भू.सं. 5, 5 A, 6, 6 A, 7, 7 A, 9, 9 A, 10, 10 A का आंशिक भाग अस्वीकृत कर शेष भूखण्डों को स्वीकृत किया जावें ।

(iv) जविप्रा आदेश क्रांमक जविप्रा/अआ/भूमि/2002/D-451 dt. 25.2.2002 के अनुसरण में योजना अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवायी जावें ।

5. श्री वक्शावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की आर.के.पुरम स्थित ग्राम श्री राम की नांगल तहसील सांगानेर खसरा नम्बर 54, 55, 56 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल ﴾जोन संख्या डी-1﴿ कमेटी की बैठक दिनांक 20.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :-

(i) योजना में आवासीय क्षेत्र 60% रखा जावें ।

(ii) प्रस्तावित 30 ft. सडक जो मुख्य 60 ft. सडक से मिलती है को 40 ft. एवं योजना में स्थित अंदरुनी सडको को 30 ft. किया जावें ।

(iii) 33 K.V. H.T. Line के नीचे 60 ft. चौडी सडक रखी जावें ।

(iv) भू.सं. 37, 38, 39, 40 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावें ।

(v) भू.सं. 50, 53, 9 A का आंशिक भाग योजना सीमा से बाहर होने के कारण शेष बचे

भूखण्डों को ॥ जिसका प्लाट साइज छोटा हो गया है ॥ को फैसीलिटी एरिया में दर्शाया जावें ।

(vi) प्रस्तावित 60 ft. सडक पर दर्शायी गयी दुकाने 10 × 20 की दुकानों में 10ft. की पार्किंग क्षेत्र छोडते हुए S-1 से S-23 10'×10' के साईज मे की जावें ।

(vii) योजना का भू उपयोग परिवर्तन नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय में किया जावें ।

(viii) जविप्रा आदेश क्रामंक जविप्रा/अआ/भूमि/2002/D-451 dt. 25.2.2002 के अनुसरण में योजना अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवायी जावें ।

6. श्री बाबा आर.एन. गौड गृह निर्माण सहकारी समिति की ब्रज विहार योजना ग्राम बिलवा खसरा नम्बर 11 व 12 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल ॥ जोन संख्या डी-1 ॥ कमेटी की बैठक दिनांक 20.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को अस्वीकृत किया गया :-

(i) योजना की लगभग 90% भूमि हाईवे कंट्रोल बैल्ट रेग्यूलेशन 2002 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में आने के कारण योजना को अस्वीकृत किया गया ।

7. श्री बाबा आर.एन. गौड गृह निर्माण सहकारी समिति की प्रियंका विहार योजना ग्राम बीलवा खसरा नम्बर 649 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल ॥ जोन संख्या डी-1 ॥ कमेटी की बैठक दिनांक 20.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :-

(i) योजना मे आवासीय क्षेत्र 60% एवं सडक सुविधा हेतु 40% रखा जावें ।

(ii) भू.सं. 27, 28, 29, 30, 15, 16, 17, 18 के सामने स्थित H.T. Line से प्रभावित होने के कारण, H.T. Line से सुरक्षित दूरी 25 ft. रखने के पश्चात भू.सं. 27, 28, 29, 17, 18, 15 के नियमन योग्य क्षेत्र का नियमन किया जावें एवं शेष भू.सं. 30, 16 को निरस्त किया जावे ।

(iii) योजना मानचित्र में Reserve Land for Future दर्शायी गयी भूमि को सुविधा क्षेत्र अंकित किया जावें ।

(iv) योजना का भू उपयोग परिवर्तन नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय में किया जावें ।

(v) जविप्रा आदेश क्रामंक जविप्रा/अआ/भूमि/2002/D- dt. 25.2.2002 के अनुसरण में योजना अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवायी जावें ।

8. अम्बेश्वर गृह.नि.स.स. की पवन वाटिका योजना, श्री राम की नांगल खसरा नम्बर 129, 130, 131, 398, 399 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल ॥ जोन संख्या

डी-1॥ कमेटी की बैठक दिनांक 20.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि योजना का मौका निरीक्षण किया जाने के पश्चात योजना परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत की जावें।

9. अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की कामधेनु योजना, बिलवा के खसरा नम्बर 9, 13 से 20 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल ॥जोन संख्या डी-1॥ कमेटी की बैठक दिनांक 20.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :-

(i) योजना पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि लिया गया कि योजना का मौका निरीक्षण किया जाने के पश्चात योजना परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत की जावें।

10. श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति की गणेश विहार योजना के खसरा नम्बर 1 व 6/2 ग्राम बीलवा के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल ॥जोन संख्या डी-1॥ कमेटी की बैठक दिनांक 20.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :-

1. योजना में 60 % आवासीय क्षेत्र एवं 40% सडक एवं सुविधा क्षेत्र रखते हुए योजना का अनुमोदन किया जावें।
2. भूखण्ड संख्या 15, 16, 26, 27, 28 को L.T. Line शिफ्ट करने के पश्चात पट्टा दिया जावें।
3. उच्च मार्ग नियंत्रण विनियम 2002 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 12 ॥टोंक रोड॥ से प्रभावित भूखण्ड संख्या 1, 2, 64, 68, 65, 67, एवं 69 अस्वीकृत किये गये।
4. योजना सीमा से बाहर स्थित भूखण्ड 17 से 21, 60 A, 54 A, 22, 29, 30, 37, 38, 45, 46, 61, 62 पूर्ण रूप से एवं 63 का आंशिक भाग अस्वीकृत किया जावें।
5. योजना का भू उपयोग परिवर्तन नियमानुसार ग्रामीण बैल्ट से आवासीय किया जावें।
6. जविप्रा आदेश क्रमांक जविप्रा/अआ/भूमि/2002/D-45 के अनुसरण में पत्रावली राज्य सरकार की भिजवायी जावें।

बीपीसी ॥ले आउट प्लान॥ की दिनांक 27.2.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये :-

1. मित्र गृह.नि.स.स. की योजना हाथी टीबा कालोनी, सामोद रोड, चौमूं के खसरा नम्बर 3494, 3502, 3503 के संबंध में

2. पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना कैलाश विहार, चौमूं के खसरा नम्बर 2945, 2967 के संबंध में

zone D-2

उपरोक्त एजेन्डा पर विचार विमर्श पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1. मित्र गृह.नि.स.स. की योजना हाथी टीबा कालोनी, सामोद रोड, चौमूं के खसरा नम्बर 3494, 3502, 3503 के संबंध में – जोनल लेबल (जोन संख्या डी–2) कमेटी की बैठक दिनांक --------- में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :-

(i) योजना को 60:40 के अनुपात में स्वीकृत किया जावें।

(ii) योजना के अंदर की 20 ft. एवं 25 ft. सड़कों को 30 ft. किया जावें।

(iii) 33 K.V., 132, K.V., 11 K.V. H.T. Lines से प्रभावित भू.सं. 1, 4, 40, 31, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 26 A, 44, 44 A, 47, 45 का नियमन नहीं किया जावें। अतः भू.सं. 2, 5 को H.T. Lines से 25 ft. सुरक्षा दूरी रखने पर नियमन योग्य भूमि का नियमन किया जावें।

(iv) योजना की सीमा में अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने के कारण भू.स. 19, 20, 21, 44 A, 47, 46 A का नियमन नहीं किया जावें।

(v) भू.स. 3, 34, 35, 36, 37 की H.T. Lines से प्रभावित भूमि को छोड़ते हुए बची हुई अधिकांश भूमि, सरकारी भूमि है अतः इन भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावें।

(vi) भू.सं. 47, 51, 52 के सामने स्थित 20 ft. चौडी सडक को 30 ft. करने पर प्रभावित भूखण्डों में निर्मित क्षेत्रफल कम मिलने के कारण इनका नियमन नहीं किया जावें।

(vii) प्रश्नगत योजना का नियमानुसार भू उपयोग परिवर्तन पार्क, खुला स्थान, खेल के मैदान से आवासीय किया जावें।

(viii) जविप्रा आदेश क्रमांक जविप्रा/अआ/भूमि/2002/D-451 dt. 25.2.2002 के क्रम में इस योजना में Built Up Area लगभग 45 % होने के कारण भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) द्वारा अनुमोदन किया गया।

2. पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना कैलाश विहार, चौमूं के खसरा नम्बर 2945, 2967 के संबंध में – जोनल लेबल (जोन संख्या डी–2) कमेटी की बैठक दिनांक --------- में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :-

(i) योजना को 60:40 के अनुपात में स्वीकृत किया जावें ।

(ii) वीर हनुमान जी सडक पर स्थित दुकानों में से 10 ft. पार्किग छोडने के पश्चात 10'x10' साइज में (3 से 41 तक) दुकानों का नियमन किया जावें ।

(iii) 11 K.V. Line से प्रभावित भूखण्डों का सुरक्षा दूरी 25 ft. रखने पर नियमन योग्य भूखण्डों का नियमन किया जावें ।

(iv) योजना में दर्शायी गयी 20 ft. सडक को 30 ft. एवं 30 ft. सडक को 40 ft. किया जावें एवं वीर हनुमान जी को जाने वाली सडक से लिंक 30 ft. चौडी सडक को 40 ft. किया जावें ।

(v) इस योजना में 43% से कम भूखण्ड निर्मित हैं अतः जविप्रा आदेश क्रमांक जविप्रा/अआ/भूमि/2002/D-451 dt. 25.2.2002 के अनुसरण में बीपीसी (Layout Plan) द्वारा अनुमोदन किया गया ।

बीपीसी ﴾ले आउट प्लान﴿ की दिनांक 27.2.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन ए-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये :-

1. बस्सी सीतारामपुरा बी भवन नि.स.स. योजना विशाल नगर, आकेडा डूंगर के संबंध में ।
2. हसनपुरा ए गृ.नि.स.स. की योजना हीरानगर, विश्वकर्मा, आकेडा डूंगर के खसरा नम्बर 1101, 1102, 1104, 1113, 1114, 1084/1323 के संबंध में
3. मित्र गृ.नि.स.स. की योजना कार्तिक नगर, आकेडा डूंगर के खसरा नम्बर 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1273/1424 के संबंध में ।
4. हसनपुरा गृ.नि.स.स. की योजना हीरानगर ए ग्राम आकेडा डूंगर खसरा नम्बर 1273 के संबंध में ।

उपरोक्त एजेन्डा पर विचार विमर्श पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1. बस्सी सीतारामपुरा "बी" भवन नि.स.स. योजना विशाल नगर, आकेडा डूंगर के संबंध में - जोनल लेबल ﴾जोन संख्या ए-2﴿ कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्न शर्तों पर स्वीकृत किया गया :-

(i) योजना की भूमि का भू उपयोग इकोलोजीकल से आवासीय किया जावें ।
(ii) सभी आन्तरिक सडके न्यूनतम 30 ft. की जावें ।
(iii) भू.स. 181 B व 181 C को अप्रोच सडक नहीं मिलने के कारण अस्वीकृत किया गया ।
(iv) भू.स. 21 से 24 व 37 से 40 को सुविधा क्षेत्र रखा जावें ।

2. हसनपुरा ए गृ.नि.स.स. की योजना हीरानगर, विश्वकर्मा, आकेडा डूंगर के खसरा नम्बर 1101, 1102, 1104, 1113, 1114, 1084/1323 के संबंध में - जोनल लेबल ﴾जोन

संख्या ए-2॥ कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्न शर्तों पर स्वीकृत किया गया :-

(i) योजना की भूमि का भू उपयोग इकोलोजीकल से आवासीय किया जावें ।
(ii) सभी आन्तरिक सडकें न्यूनतम 30 ft. की जावें ।
(iii) योजना के पूर्व में उत्तर दक्षिण रोड को 80 ft. किया जावें एवं दुकानों के सडक मे आ रहे क्षेत्र को घटाने के पश्चात 10 ft. की दुकानें स्वीकृत की गई, शेष क्षेत्र को पार्किंग हेतु आरक्षित रखा जावें ।
(iv) दुकानों का अधिकतम क्षेत्र 6% रखा जावें ।

3. मित्र गृ.नि.स.स. की योजना कार्तिक नगर, आकेडा डूंगर के खसरा नम्बर 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1273/1424 के संबंध में - जोनल लेबल ॥जोन संख्या ए-2॥ कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्न शर्तों पर स्वीकृत किया गया :-

(i) योजना की भूमि का भू उपयोग इकोलोजीकल से आवासीय किया जावें ।
(ii) योजना से गुजर रही H.T. Line के दोनो ओर 25'-0" - 25'-0" भूमि सडक हेतू रखी जावें ।
(iii) सभी आन्तरिक सडकों की चौडाई न्यूनतम 30 ft. की जावें ।

4. हसनपुरा गृ.नि.स.स. की योजना हीरानगर ए ग्राम आकेडा डूंगर खसरा नम्बर 1273 के संबंध में - जोनल लेबल ॥जोन संख्या ए-2॥ कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्न शर्तों पर स्वीकृत किया गया :-

(i) योजना की भूमि का भू उपयोग इकोलोजीकल से आवासीय किया जावें ।
(ii) 60 ft. चौडी सडक के सामने की दुकानों को अस्वीकृत किया गया ।
(iii) दोनो आन्तरिक सडकों न्यूनतम 30 ft. की जावें ।

DRM-1

वरिष्ठ नगर नियोजक ॥एम.पी.॥
जविप्रा, जयपुर ।